

दिल्ली बमुकदमें इस्तवाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 का प्रक्रिया सहित
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 353/2018


1. रामचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. हंसराज पुत्र रामकुमार जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. मांगीलाल पुत्र हनुमान जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
4. प्रेमकुमार पुत्र हनुमान जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
5. दलीप कुमार पुत्र साहबराम जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
6. विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।

बनाम

1. रामकुमार पुत्र अर्जनराम जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. हनुमान पुत्र अर्जनराम जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. गुड्डी देवी पत्नी साहबराम जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
4. सन्तरो देवी पत्नी हनुमान जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
5. विमला देवी पत्नी रामकुमार जाति सुधार निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
6. रानीदेवी पुत्री साहबराम पत्नी प्रेमकुमार जाति सुधार निवासी रामपुरा (पंजाब)।
7. छोटी देवी उर्फ मन्जू देवी पुत्री साहबराम पत्नी विनोद जाति सुधार निवासी रामपुरा (पंजाब)।
8. माया पुत्री रामकुमार पत्नी रामेश्वरलाल जाति सुधार निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. हरदेई पुत्री रामकुमार पत्नी डूंगरराम जाति सुधार निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. कृष्णा पुत्री रामकुमार पत्नी महेन्द्र जाति सुधार निवासी गिदड़खेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
11. राजबाला पुत्री रामकुमार पत्नी सरवन जाति सुधार निवासी गिदड़खेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
12. हाकमसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जट सिख निवासह सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
13. बलकरणसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
14. सम्पूर्णसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।

-वादीगण

-प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण चक नं. 10 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता संख्या 181 की 2.150 है. व चक नं.10 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता संख्या 18 की 5.060 है. मय गैर मुमकिन आराजी के बहिब खातेदार काश्तकार है तथा चक नं. 9 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता संख्या 84 की 2.669 है. आराजी में प्रतिवादी संख्या 12 को 1/2 हिस्सा का व प्रतिवादीगण संख्या 13,14 बहिब है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि विनियमत आराजी में अन्तर राशि यदि कोई जमा कराने योग्य हो का परीक्षण कर पक्षकारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक नं. 9 एसएलडब्ल्यू के खाता संख्या 84 में रामकुमार, हनुमान पिसरान अर्जनराम व गुड्डीदेवी पत्नी साहबराम, रानीदेवी, छोटीदेवी पुत्रियां साहबराम का नाम कलमज्न

अधिकारी
कार्यक
टिब्बी

किया जावे व चक नं. 10 एसएलडब्ल्यू के खाता संख्या 181 में प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 का नाम कलमजन व चक नं. 10 एसएलडब्ल्यू के खाता संख्या 18 में गुडडीदेवी पत्नी साहबराम, कृष्ण कुमार, रानीदेवी, छोटीदेवी पिसरान साहबराम, रामकुमार, हनुमान पिसरान अर्जन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। चक नं. 9 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 76 के खाता संख्या 84 की शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक १७.११.१८ अदा करे।

यह आज तारीख १७.११.१८ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेद सिंह रतन)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी